अतः अपीलार्थी [illegible] पर एक, नहीं बहस अभिभाषक अपीला० की सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त [illegible] किया जाता है कि [illegible] दिनांक 15.3.17 तक [illegible] अपीलार्थीगण [illegible] डिक्री दिनांक 30.9.2000 को [illegible] की पत्रावली [illegible] अधि० [illegible] पेश हो। पत्रावली दिनांक 15.3.17

भू-प्रबन्ध अ[illegible] एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

15.3.17 अभिभाषक अपीला०/रेस्पो० उपस्थित।
अतः पत्रावली [illegible] तहसील, [illegible] पेश हो।
दिनांक 17.5.17 को पेश हो। पूर्व स्थगन आदेश की अवधि नियत दिनांक तक बढ़ाई जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

24.3.17 अपीला० [illegible] ने जरिये अभिभाषक [illegible] प्रस्तुत करने पर पत्रावली [illegible] पर [illegible] निवेदन किया है कि मौजूदा अपील [illegible] अपीला० [illegible] के खिलाफ [illegible] नहीं चाहिये पक्षकारान एक ही परिवार के [illegible] हैं। अतः पत्रावली [illegible] कार्यवाही [illegible]।
अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट [illegible] अपील [illegible] पत्रावली [illegible] अपील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

221 / 10/417 / 265-66 / 13/4/17

81 ASIF Ali (ASIF Ali [illegible])